



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एच- 169, चितवन एस्टेट, सैक्टर- गामा, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला- गौतम बुद्ध नगर

दूरभाष : 0120-2326150/151 फैक्स : 0120-2326143/145

आवंटन पत्र

प्रेपक :

प्रबन्धक (सम्पति)

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण

सेवा में,

Shri/SMT/Ms.: MAHESH

प्रत्रांक : सम्पति / किसान आवादी / 2017 / 10714

तिथि : 13/11/2017

S/D/W of: HETRAM

Address: PALI G. B NAGAR

महोदय / महोदया,

प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपको ग्राम PALI की प्रस्तावित आवादी को ग्राम/सैक्टर PALLA की प्रस्तावित आवादी में भूखण्ड संख्या 126 पॉकेट D क्षेत्रफल 1190 वर्गमीटर आवादी विस्तार हेतु आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि रु 2180243.03 देय तिथि तक ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से बैंक ऑफ बडौदा (शॉपिंग कॉम्प्लैक्स सैक्टर गामा ग्रेटर नौएडा) में जमा करना सुनिश्चित करें। इस आवंटन में निम्नलिखित शर्तों की वाध्यता अनिवार्य होगी:

आवंटन संख्या :PAL394

भुगतान पद्धति

भुगतान कोड	देय तिथि	देय धनराशि
Development Amount	28/11/2017	₹ 2180243.03
Water Charges		₹ 1200.00
Sewer Charges		₹ 2800.00

- इस भूखण्ड पर भवन निर्माण 7 वर्ष के अन्तर्गत पूर्ण करना होगा।
- निश्चित समय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने की विधि में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
- इस भूखण्ड की अवधि में निर्माण करना आवश्यक होगा।
- इस भूखण्ड के हस्तान्तरण पर तीन वर्ष तक प्रतिवन्ध होगा। प्रतिवन्ध के विपरीत यदि भूखण्ड को आंवटी/कृपक द्वारा हस्तान्तरित किया जाता है तो ऐसी विधि में अहं कृपक शेयरी को प्राप्त 17.5% के कोटे के अन्तर्गत प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में प्राप्त आरक्षण सुविधा से वित्त कर दिया जायेगा।
- पट्टा पंजीकरण की धनराशि पट्टा निष्पादन के समय ही भुगतान करनी होगी।
- आंवटी द्वारा भूखण्ड के क्षेत्रफल में यदि वाणिज्यिक गतिविधि के उपयोग हेतु अनुमति मांगी जाती है तो ऐसी दशा में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
- आवंटित भूखण्ड के लैं-आउट प्लान में भूखण्ड के क्षेत्रफल में घटत / बढ़त भी हो सकती है जो आवंटी द्वारा मान्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि स्वामित्व / परम्परागत कृपक / निवास के सम्बन्ध में सूचना गलत पाई जाती है तो आवादी हेतु भूखण्ड का आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण कराते हुए जमा धनराशि के चालान की एक प्रति इस कार्यालय में भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रबन्धक (सम्पति)